IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत-सोवियत संघ 20 वर्षीय मैत्री संधि, 1971: एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कु. पूजा देवी
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान स्कूल, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

रीतिका आर्य शोधार्थी

परास्नातक छात्रा, राजनीति विज्ञान स्कूल, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

गरिमा सैनी शोधार्थी

परास्नातक छात्रा, राजनीति विज्ञान स्कूल, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

सार (Abstract)
भारत-सोवियत संघ के मध्य 9 अगस्त 1971 को संपन्न 20 वर्षीय मैत्री संधि शीत युद्ध कालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक निर्णायक घटना थी, जिसने न केवल भारत की विदेश नीति को नया आयाम प्रदान किया, बल्कि दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन को भी गहराई से प्रभावित किया। यह संधि ऐसे समय में हुई जब पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1971 में अमेरिका -सोवियत ,चीन और भारत-पाक विवादों की उलझन ने भारत-अमेरिकी संबंधों को निम्न स्तर की ओर धकेला। जिस वर्ष वाशिंगटन बीजिंग के साथ नए संबंधों की शुरुआत कर रहा था, उसी वक्त नई दिल्ली ने दक्षिण एशिया में अमेरिकी व चीनी प्रभाव को कम करने के लिए मॉस्को के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। चूंकि पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ चुकी थी, इसलिए भारत इस स्थिति में नहीं था कि यह अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति रोकने के लिए राजी कर तथा पाकिस्तानों नेताओं को इस बात के लिए तैयार कर सके कि ये पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक समझौता कर लें। नवंबर 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पाकिस्तान समर्थन हठधर्मिता को बदलने के लिए इंदिरा गांधी का वाशिंगटन दौरा नाकामयाब साथित हुआ। जब दिसंबर 1971 के आरंभ में भारत के हवाई क्षेत्र मे पाकिस्तान हमले के बाद औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिका और चीन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में युद्ध विराम के लिए वोट किया, परंतु सोवियत संघ के वीटो ने किसी भी प्रस्ताव को प्रभावी होने से रोक दिया। तदंतर बंगाल की खाड़ी में वाशिंगटन ने सैनिक कार्यदल के विस्तार ने भारत में अनेक लोगों को यह विश्वास दिला दिया विशेष रूप से 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग इस संधि की वास्तविक उपयोगिता को स्पष्ट करता है। यह संधि भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा कवच सिद्ध हुई, जिसने न केवल तत्कालीन संकटों से निपटने में सहायता की, बल्कि भारत को एक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में भी अग्रसर किया।

मुख्य शब्दः भारत-सोवियत संबंध, 1971 संधि, भारत-पाक युद्ध, गुटनिरपेक्षता नीति, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, राष्ट्रीय हित

परिचय (Introduction)

भारत-सोवियत संघ 20 वर्षीय मैत्री संधि, 1971 का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उस दौर को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब विश्व शीत युद्ध की द्विध्रुवीय संरचना में विभाजित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन दो महाशक्तियों- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केंद्रित हो गया था। इस समय विश्व राजनीति केवल शक्ति संघर्ष तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह वैचारिक प्रतिस्पर्धा (पूंजीवाद बनाम साम्यवाद) का भी प्रतीक बन चुकी थी भारत, जो 1947 में स्वतंत्र हुआ, ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इस नीति का उद्देश्य यह था कि भारत किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा न बने और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। परंतु 1960 और 1970 के दशक में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन हुआ, जिसने भारत को अपनी विदेश नीति में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।अप्रैल 1971 तक सोवियत संघ ने अपनो नीति में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान को समकक्ष रखने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। अब उसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्वा खाँ को यह लिखा कि सोवियत संघ को यह सूचना मिली थी कि ढाका में चल रही बातचीत टूट चुकी थी और देश के सैनिक प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तन की जनता पर सैनिक बलों द्वारा कार्यवाही की थी। यह सूचना सोवियत संघ के लिए चिन्ता का विषय थी सोवियत राष्ट्रपति ने शातिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की परन्तु पाकिस्तान इस तरह की कोई सलाह मानने के लिए तैया नहीं था। वाह्वा खाँ को अमरीकी और चीनी समर्थन का विश्वास था और उसने बांग्लादेश आन्दोलन के राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया था। भारत के लिए अगस्त 1971 तक संकट बढ़ गया था। सोवियत संघ में भारत के पूर्व राजदूत डी.पी. धर अगस्त 1971 में बातचीत के लिए मॉस्को गए।
भारत-सोवियत मैत्री संधि इसी बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का परिणाम थी। यह संधि केवल दो देशों के बीच एक समझौता नहीं थी, बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मजबूत करने का एक रणनीतिक कदम था। विशेष रूप से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय इस संधि ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत समर्थन प्रदान किया।

संधि की पृष्ठभूमि (Background of the Treaty)

भारत-सोवियत संघ संधि की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उस समय की अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। सबसे पहले, शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया था। एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट था, जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था। दोनों महाशक्तियाँ अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में लगी हुई थीं। दूसरी ओर, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे। 1965 के युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रही। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और दमनकारी नीतियों के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में हुए अत्याचारों के कारण लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए. जिससे भारत पर आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया। भारत के लिए यह केवल मानवीय संकट नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन गया था। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के समर्थन में थे। ऐसे में भारत के सामने यह चुनौती थी कि वह अपने हितों की रक्षा कैसे करे। इस परिस्थिति में सोवियत संघ एक ऐसा सहयोगी बनकर उभरा, जो भारत को कूटनीतिक और सामरिक समर्थन प्रदान कर सकता था। इन्हीं परिस्थितियों ने भारत और सोवियत संघ को एक दीर्घकालिक संधि करने के लिए प्रेरित किया।

भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग संधि, 1971

1963 मे सोवियत संघ द्वारा भारत और चीन सीमा - विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन किया गया। यह घटना भारत की निर्गुट नीति की एक शानदार सफलता थी 1965 भारत-पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक अमेरीका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देते तक उन्हें किसी तरह की सैनिक सहायता नहीं दी जायेगी। इससे स्पष्ट हो गया कि गुटों में सम्मिलित होने पर भी पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचा। 1971 की भारत-गोवियत सन्धि तथा गुटनिरपेक्षता बांग्लादेश की क्रान्ति और तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप दक्षिणी एशिया में उत्पन्न संकट के समय 'भारत-सोवियत मैत्री सन्धि भारतीय हितों की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। सोवियत संघ में भारत के पूर्व राजदूत डी. पी. धर अगस्त 1971 में बातचीत के लिए मॉस्को गए। उसके तुरंत बाद एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल नई दिल्ली आया। दोनों देशों में शिखर वार्ता के बाद 9 अगस्त

1971 को 20 वर्ष के लिए एक शांति मैत्रि और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस पर विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह सोवियत संघ को विदेश मंत्री ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अपनी प्रकार की पहली संधि थी। यह विश्वास किया जाता था कि एक गुट-निरपेक्ष देश के लिए किसी भी महा-शक्ति के साथ संधि करना उचित नहीं था। परन्तु पाकिस्तान - अमेरिका, चीन गठबन्धन को ध्यान में रखते हुए भारत के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। जब दिसम्बर 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ तब इस के संधि कारण ही अमेरिका और चीन दोनों को हस्तक्षेप करने से रोका जा सका। भारत और सोवियत संघ की यह साझेदारी एक वरदान सिद्ध हुई। 1971 के भारत-पाक संघर्ष में यह सन्धि भारत को नया विश्वास, आत्मसम्मान और इस भू भाग में अपनी हैसियत का अहसास कराने में सहायक सिद्ध हुई। यह संधि 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षरित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास, सहयोग और सुरक्षा को सुदृढ करना था। यह केवल एक साधारण द्विपक्षीय समझोता नहीं था, बल्कि उस समय की जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं का परिणाम था। इस संधि के माध्यम से भारत ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी बाहरी आक्रमण या दबाव की स्थिति में उसे एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होगा। विशेष रूप से बांग्लादेश मुक्ति के संदर्भ में यह संधि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने अमेरिका और चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन का संतुलन स्थापित किया। साथ ही, इस संधि ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पूर्णतः निष्क्रिय नहीं थी बल्कि यह एक लचीली और व्यावहारिक नीति थी, जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था । पं. नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था. ("किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है।) इस प्रकार भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग संधि न केवल तत्कालीन संकटों का समाधान थी, बल्कि यह भारत की विदेश नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाया।

संधि के प्रमुख प्रावधान (Main Provisions of the Treaty)

भारत और सोवियत संघ के बीच 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षरित इस संधि में कुल 12 अनुच्छेद (Articles) शामिल थे, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को सुनिश्चित करना था।

1.इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और मैत्री स्थापित हो दोनों देश एक दूसरे को स्वतन्त्रता संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके संबंध अच्छे पड़ोसियों के रूप में मैत्री पर आधारित हो।

2. दोनों देशों ने अपने इस निश्चय की घोषणा की। कि वे एशिया और पुरे विश्व में शांति स्थापना के प्रयास करते रहेंगे और सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करेंगे।

3. भारत और सोवियत संघ दोनों ने सभी लोगों को समानता के उच्च आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त और उपनिवेशवाद और जातिवाद की पूरी तरह निन्दा की।

4. दोनो देशों ने यह वचन दिया कि संसार में शांति और सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता ध्यान में रखने हुए वे सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर एक दूसरे से सम्पर्क करेंगे।

5.दोनों देशों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे अर्थव्यवस्था विज्ञान और प्रौधिगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग बनाए रखेंगे और अपने बीच व्यापार यातायात और संचार का विकास करेंगे।

6. दोनों देशो ने कला विज्ञान साहित्य, शिक्षा जन स्वास्थ्य प्रचार माध्यमों, पर्यटन और खेल कूद के क्षेत्र में अपने सहयोग को और विकसित करेंगे।

*. एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रावधान में दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे ऐसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं होंगे जो दूसरे देश के हित के विरूद्ध होंगी और दोनों देश एक दूसरे के विरूद्ध आक्रमण नहीं करेंगे।

7.दोनों ने यह वचन दिया कि उनमें से कोई भी किसी ऐसे तीसरे देश को सहायत नहीं देगा, जिसका कि दूसरे देश के साथ सैनिक संघर्ष चल रहा होगा: यदि दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण होता है. या उसका डर होता है तो ये आपस में परामर्श करेंगे।

8.दोनों देशों ने यह घोषणा की कि वे किसी ऐसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चाहे वह गोपनीय ही क्यों न हो. जो कि दूसरे मित्र के हितों के विरूद्ध हो ।

संधि का महत्व (Significance of the Treaty)

1971 की भारत-सोवियत संधि का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है।

सबसे पहले, इस संधि ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया। उस समय भारत को पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध का सामना करना पड़ रहा था, और अमेरिका तथा चीन का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त था। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ का समर्थन भारत के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता था।

दूसरा, इस संधि ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने सातवें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा, तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया और इस हस्तक्षेप को संतुलित किया।

तीसरा, इस संधि ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया। भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा, जो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करते हुए भी आवश्यकतानुसार रणनीतिक सहयोग स्थापित कर सकता है।

चौधा, इस संधि ने भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास में भी योगदान दिया। सोवियत संघ ने भारत को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सहयोग प्रदान किया, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति को गति मिली।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव (International Impact)

भारत-सोवियत संधि का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा। इस संधि ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया। भारत एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा, जबकि पाकिस्तान की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हो गई। इसके अतिरिक्त, इस संधि ने शीत युद्ध की राजनीति में भी एक नया मोड़ लाया। सोवियत संघ ने एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जबकि अमेरिका और चीन के प्रभाव को संतुलित किया गया। यह संधि यह भी दर्शाती है कि गुटनिरपेक्ष देश भी अपनी सुरक्षा और हितों के लिए रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं। इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद (Realism) की अवधारणा को भी बल प्रदान किया।

आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

हालांकि यह संधि भारत के लिए अत्यत लाभकारी थी, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएँ भी की गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संधि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के विरुद्ध थी। उनके अनुसार, भारत इस संधि के माध्यम से सोवियत संघ के अधिक निकट आ गया, जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित हुई सधि के आलोचकों के तर्क थे कि (क) यह संधि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की अवहेलना थी। अमेरिका के एक सीनेटर पर्सी के शब्दों में "यह संधि बहुत समय से चली आ रही भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की अवहेलना है।" यदि हम गुट-निरपेक्षता की मूल धारणा को देखें तो यह संधि अवश्य ही उसके साथ समझौता थी. परन्तु यह एक ऐसी आवश्यकता थी जिसका कोई विकल्प नहीं था; (ख) इस संधि ने भारत को सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र बना दियाः (ग) इसे अप्रत्यक्ष रूप से एक सैनिक संधि का नाम दिया गया; (घ) आलोचकों के अनुसार इस संधि ने भारत चीन संबंधों के सामान्य होने के मार्ग में अवरोधक का कार्य किया; (ङ) भारत और अमेरिका के संबंध जो पहले ही खराब थे अब और भी कटुतापूर्ण हो सकते थे; तथा (च) आलोचकों के अनुसार अब हिन्द महासागर महाशिक्तियों के रणकौशल का प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र बन सकता था।

इसके समर्थन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि "मै इस संधि का स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा भारत को एक मित्र प्राप्त हो गया है; एक ऐसा मित्र जिसका विश्वास किया जा सकता है और जो संकट के समय में हमारा साथ दे सकता है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री के. कामराज का विचार था कि यह संधि न केवल दोनों देशों की मित्रता को सुदृद बनाएगी वरन् एशिया तथा विश्व में शान्ति सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने इसे "दक्षिण एशिया में शान्ति की निश्चित गारण्टी" कहा था स्वतन्त्र पार्टी के सांसद श्री पीलू मोदी ने यह कह दिया कि "मैं इस संधि में भारत के लिए कोई भलाई नहीं देखता हूँ।" दूसरी ओर इस संधि के अनेक स्वागतकर्ताओं में से एक ऊषा महाजनी का कहना था कि "भारत के सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था।" साम्यवादी नेता हीरंन मुकर्जी का मानना था कि यह सधि पूर्ण रूप से भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के अनुकूल थी। इस संधि का आपेक्षित परिणाम हुआ। दिसम्बर 1971 के भारत-पाक युद्ध में न तो अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप किया और न चीन ने। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद् के भीतर और बाहर भारत का पूर्ण समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रवेश के प्रश्न पर भी सोवियत संघ और भारत ने पूर्ण सहयोग भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता देने वालों में सोवियत संघ प्रमुख था। हिन्द महासागर को "शान्ति का क्षेत्र" घोषित करवाने की माँग का सोवियत संघ ने सैद्धान्तिक रूप में समर्थन किया और उसने भारत की चिन्ता से सहमति व्यक्त की। सोवियत संघ ने इस बात पर बल दिया कि वह किसी भी पश्चिमी देश के निहित अधिकारों (Inherent Rights) अथवा श्रेष्ठ स्थिति (Superior Position) के नाम पर हिन्द महासागर में वर्चस्व स्थापित नहीं करने

देगा। सोवियत संघ हिन्द महासागर को " शान्ति का क्षेत्र" घोषित करने के लिए यह आवश्यक समझता था कि दिइगो गार्शिया (Diego Garcia) के अमरीकी नौसैनिक अड्डे सहित इस क्षेत्र के सभी विदेशी अड्डो पर प्रतिबंध किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत-सोवियत संघ 1971 की 20 वर्षीय मैत्री संधि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने भारत की विदेश नीति को नई दिशा प्रदान की भारत-सोवियत संधि ने भारत में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वह पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। चाहे यह संधि गुट निरपेक्षता के साथ एक समझौता ही सही. फिर भी उस समय की परिस्थिति में यह आवश्यक थी और विश्व में इसने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यह संधि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के लिए एक धक्का सिद्ध हुई। देश के अनेक प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कामराज ने कहा कि यह न केवल दोनों देशों की मित्रता को मजबूत करेगी बल्कि एशिया और समस्त विश्व में शांति की स्थापना भी करेगी। राजाजी (C. Rajagopalachari) का अनुमान था कि इस घटना से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अवश्य प्रभावित होंगे। लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने इस संधि को शांति की निश्चित गारण्टी बताया। पूर्व विदेश मंत्री एम.सी. चागला के अनुसार यह लम्बे समय के बाद मिला शुभ समाचार था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक विपक्षी दल के नेता थे.ग्रोमिको ने इस अवसर पर कहा या कि, "दो देशों के संबंधों के बीच कभी-कभी ऐतिहासिक घटनाएँ घटती हैं। शान्ति, मित्रता और सहयोग की संधि जिस पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं, इसी प्रकार की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है।" इस संधि का स्वागत करते हुए यह आशा व्यक्त की कि भारत बांग्लादेश के संबंध में अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय ले सकेगा। उस समय की परिस्थिति में भारत को इस संधि के द्वारा जो लाभ हुआ उससे अधिक मूल्यवान और कोई संधि नही हो सकती थी इसने भारत को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके माध्यम से भारत ने यह प्रदर्शित किया कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय और व्यावहारिक नीति अपनाना है। अंततः, यह संधि भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने न केवल उस समय की चुनौतियों का समाधान किया, बल्कि भविष्य की विदेश नीति के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया।

संदर्भ सूची :

1.रामन एम. एस्.ए, 1995 गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, प्रकाशन गृह

2.पंत पुष्पेश, 2002 ,अन्तराष्ट्रीय संबंध, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन

3. चतुर्वेदी डी. सी., 1990 ,अन्तर्राष्ट्रीय संबंध ,दिल्ली, सरस्वती
प्रकाशन

4. कुमार, एम. (2020) अंतरराष्ट्रीय संबंध,आगरा शिवलाल एंड कंपनी

5.गुहा, आर (2007) गांधी के बाद का भारत: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास, लंदन मैकमिलन

6.चन्द्र, बी (2012). इंशा स्वतंत्रता के बाद से, नई दिल्ली, पेंग्विन बुक्या

7.जयकर, पी. (1992). इंदिरा गांधी: एक जीवनी, नई दिल्ली, पेंग्विन बुक्स

9.दीक्षित, जे. एन. (2003). भारत के विदेश संबंध: चुनौतियों की एक विशाल चुनौती, नई दिल्ली, कोणार्क पब्लिशर्स

10. दत्त, वी. पी. (2011) भारतीय विदेश नीति ,नई दिल्ली, विकास पब्लिशिग हाउस

11.नेहरू, जे. (1946). भारत की खोज, कोलकाता

12. पंत, एच. वी. (2016) भारत के विदेश संबंध 1947-2007 ,नई दिल्ली, राउतलेज

13. पत, पी. (2019). भारत की विदेश नीति,नई दिल्ली, मैकग्रा हिल

14. परांजपे, एस. (2018) समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नई दिल्ली, सेंट्रल टेक पब्लिकेशंस

15.पाल्मर , एन. डी. और पर्किन्स एच सी. (2010) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंध ,नई दिल्ली, सी.बी.एस. पब्लिशर्स

16.मन्सिंह, एस (1998) 21वीं सदी में भारत और विश्व, नई दिल्ली, फॉरेन पॉलिसी कंसल्टेंट्स

17. मित्रा, एस. के. (2017). दक्षिण एशियाई राजनीति, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस